राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—1975 / 2023

डॉ. साधना गुप्ता —अपीलार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप—2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, सी—स्कीम, जयपुर, राज.।
4. अधीक्षक, जनाना अस्पताल, चांदपोल, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 05.09.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता,

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि आदेश दिनांक 29.9.2019 के द्वारा अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान जनाना चिकित्सालय, चांदपोल, जयपुर से सीएचसी जमवारामगढ, जयपुर में स्थानांतरण कर दिया गया। अपीलार्थी के स्थान पर डॉ नीतेश कंवर शेखावत को स्थानांतरण किया गया लेकिन उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण द्वारा कार्यमुक्त नही किया गया था और अपीलार्थी को निरंतर कार्यरत रखा गया। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने स्थानांतरण आदेश दिनांक 29.9.2019 की पालना में करीब तीन वर्ष बाद दिनांक 20.12.2022 को कार्यमुक्त किया गया, लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम ने अपीलार्थी को कार्यग्रहण करवाने से इंकार कर दिया और अपीलार्थी को पुनः जनाना अस्पताल, जयपुर में ही भेज दिया। इसके पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 4 ने बिना सक्षम अधिकारी के ही आदेश दिनांक 4.1.2023 से निदेशक, जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर के लिए एपीओं के रूप में कार्यमुक्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 4 के द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.12.2022 एवं 4.1.2023 के विरूद्ध माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 417 / 2023 दायर की गई। अपीलार्थी की उक्त अपील संख्या 417 / 2023 को माननीय अधिकरण ने आदेश दिनांक 6.2.2023 से अपील को स्वीकार कर आदेश दिनांक 20.12.2022 एवं 4.1.2023 को अपास्त कर दिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश

दिनांक 15.06.2020 के द्वारा अपीलार्थी का वेतन अक्टूबर, 2019 से अग्रिम आदेश तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कालाकुआ, अलवर के अधिन समकक्ष/उच्च रिक्त पद के विरूद्ध आहरित करने के निर्देश दिए गए। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी का अक्टूबर 2019 से सितंबर 2021 तक वेतन कालाकुआं, अलवर से आहरित किया गया और इसके पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 6.12.2021 के द्वारा अक्टूबर 2021 से अग्रिम आदेशों तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के रिक्त पद के विरूद्ध अपीलार्थी का वेतन आहरित करने के निर्देश दिए गए हैं। अपीलार्थी को फरवरी 2022 तक का वेतन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के यहां से रिक्त पद पर आहरित किया गया है। इसके पश्चात् मार्च 2022 से आज दिनांक तक अपीलार्थी को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। अपीलार्थी की राजकीय सेवा से सेवानिवृति में मात्र 6 महिने की अवधि शेष है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी गण के समक्ष अनेक बार माह मार्च 2022 से आज दिनांक तक वेतन आहरण करने के लिए कई बार प्रतिवेदन/अभ्यावेदन भी दिए है, लेकिन प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी के प्रतिवेदन/अभ्यावेदनों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की है और ना ही बकाया वेतन आहरित किया गया है। अपीलार्थी का वेतन आहरण नही किए जाने के कारण अपीलार्थी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

2. हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
3. अपीलार्थी द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को नियमानुसार मार्च, 2022 से आज दिनांक बकाया वेतन का भुगतान वर्तमान पद से अथवा किसी भी अन्य रिक्त पद से किया जावें।
4. इस आदेश की पालना 10 दिवस में की जाये।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)